(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 260 / 2022 **जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 695**

1. बालाजी शिक्षा समिति गाड़ाखेड़ा जरिये सचिव विनोद कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. विनोद कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

............वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति खाती निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. गिन्नो देवी पत्नी प्रभाती लाल जाति खाती निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. बाला पुत्री प्रभाती लाल जाति खाती निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. श्रीराम पुत्र भोमाराम जाति खाती निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. सत्यवीर पुत्र भोमाराम जाति खाती निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0

................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णयः– दिनांकः– 20/12/24

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज0)

1. यह कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 208 के ख0 न0 477 रकबा 2.29 हैक्टर में वादीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार कास्तकार है।
2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी बंटवारा कर रखा है व अपने अपने हिस्से पर कब्जा कास्त है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदार में दर्ज है।
3. यह कि वादीगण अपनी भूमि का रूपान्तरण करवाने के लिए खाता विभाजन करवाना चाहता है लेकिन वह प्रतिवादीगण द्वारा खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तो वादीगण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि दावा खाता विभाजन का पेश करना पैदा हुआ।
4. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्सा 68/165 है वादी संख्या 2 का हिस्सा 17/110 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/30 व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/30 भाग प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/30 भाग प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा दर्ज है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 208 के ख0 न0 477 रकबा 2.29 हैक्टर में वादी संख्या 1 का 68/165 भाग व वादी संख्या 2 का हिस्सा 17/110 भाग कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 2, 3, की ओर से श्री राजेश यादव ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश नही करना चाहते है। मौके व कब्जे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का भी खाता विभाजन कर दिया जावे। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 01.05.2024 को लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.05.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 170 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2320 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075—2078 वाके ग्राम गाडाखेड़ा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 208 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—::आदेश::—

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के खाता संख्या 208 के ख0 न0 477 रकबा 2.29 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का मौके व कब्जे के अनुसार खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ—1 लगायत अ—3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))

निर्णय आज दिनांक 20/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 260/2022 **जीसीएमएस नम्बर :– 2022/695**

बालाजी शिक्षा समिति **बनाम** अनिल कुमार आदि

दावा बाबत– घोष्णात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री विकास कुमार एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं0 2, 3 की और से श्री राजेश यादव उपस्थित व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद **पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के खाता संख्या 208 के ख0 न0 477 रकबा 2.29 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का मौके व कब्जे के अनुसार खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.12.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)